



2026:AHC-LKO:22595-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय**लखनऊ****रिट-सी संख्या - 2991 वर्ष 2026**

आरती कुमारी

याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, राजस्व, लखनऊ

एवं 2 अन्य

प्रतिवादीगण(गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता

: रीपेंद्र गुप्ता

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता

: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या-3**माननीय न्यायमूर्ति शेखर बी० सराफ****माननीय न्यायमूर्ति अवधेश कुमार चौधरी**

1. पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को सुना ।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

2. यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट याचिका है, जिसमें याचिकाकर्ता प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा पारित दिनांक 25.02.2026 के आदेश द्वारा *मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना* के अंतर्गत याचिकाकर्ता के दावे को इस आधार पर कि याचिकाकर्ता ने 353 दिनों की अवधि के पश्चात् विलंब से अपना दावा प्रस्तुत किया, निरस्त किए जाने से व्यथित है।

3. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता, इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा *श्रीमती सर्वेश देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य* (रिट-सी संख्या 27527 वर्ष 2023) मामले में पारित निर्णय पर भरोसा करते हैं।

4. उक्त निर्णय में, इस न्यायालय की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की थी और *गौतम यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य दर्ज 2020 (11) एडीजे 321 में*, के निर्णय पर विचार करने के बाद यह दोहराया था कि उक्त योजना के तहत निर्धारित परिसीमा अनुचित और मनमानी है, तथा यह अवधि 75 दिनों के बजाय तीन वर्ष होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह योजना निर्धारित समय, अर्थात् 75 दिनों के भीतर आवेदन न करने पर किसी भी प्रकार के परिणाम का प्रावधान नहीं करती है।

5. हमारे मत में, उपरोक्त योजना एक लाभकारी विधायन होने के कारण, दावा प्रस्तुत करने की अवधि युक्तिसंगत होनी चाहिए तथा यदि उक्त दावा दाखिल करने में विलंब के लिए याचिकाकर्ता द्वारा पर्याप्त कारण दर्शाया जाता है, तो उसी पर विधि के अनुसार विचार किया जाना अपेक्षित है।

6. प्रतिवादीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने हमारे समक्ष *नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम गौतम यादव एवं अन्य*, विशेष अपील अनुमति संख्या 7647 वर्ष 2021 में माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय प्रस्तुत किया, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने विशेष अपील अनुमति को स्वीकार करते हुए निम्नलिखित आदेश पारित किए:-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

"इस न्यायालय के दिनांक 02.07.2021 के आदेश के अनुपालन में, याचिकाकर्ता ने उत्तरदाता संख्या 1 को 5 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया है तथा ऐसे भुगतान किए जाने का प्रमाण दाखिल किया है।

सूचना जारी की जाए, छह सप्ताह में वापसी योग्य।

यद्यपि उत्तरदाता संख्या 1 को सूचना प्रेषित की जा रही है, तथापि उसे उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसे भुगतान पूर्व में ही किया जा चुका है।

इस बीच, प्रश्नगत आदेश में दिया गया यह निर्देश कि निरस्तीकरण की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के भीतर दाखिल किए गए सभी दावों को परिसीमा के भीतर माना जाए, स्थगित रहेगा।"

7. यह उल्लेखनीय है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने **गौतम यादव** (उपरोक्त) में उच्च न्यायालय द्वारा पारित सम्पूर्ण आदेश को स्थगित नहीं किया है, बल्कि केवल उस निर्देश को स्थगित किया है कि निरस्तीकरण की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के भीतर दाखिल किए गए दावों को परिसीमा के भीतर माना जाए।

8. चूंकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने **गौतम यादव** (उपरोक्त) में परिसीमा अवधि को तीन वर्ष तक विस्तारित करने संबंधी निर्देश को स्थगित कर दिया है, अतः प्रत्येक प्रकरण का उसके तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर परीक्षण करना होगा तथा यह निर्धारित करना होगा कि उक्त दावा दाखिल करने में विलंब के लिए पर्याप्त कारण था या नहीं।

9. हमारे मत में, प्रतिवादी ने उक्त आवेदन दाखिल करने में विलंब के कारणों के संबंध में याचिकाकर्ता के कथनों पर विचार नहीं किया तथा केवल इस आधार पर कि दावा विलंब से दाखिल किया गया था, साधारणतः आदेश पारित कर दिया है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

10. तदनुसार, प्रश्नगत आदेश निरस्त एवं अपास्त किया जाता है, इस निर्देश के साथ कि प्रतिवादी प्राधिकारी याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान करे तथा तत्पश्चात् दिनांक से आठ सप्ताह की अवधि के भीतर एक कारणयुक्त आदेश पारित करे।

11. उपरोक्त निर्देशों के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

(न्यायमूर्ति अवधेश कुमार चौधरी) (न्यायमूर्ति शेखर बी०

सराफ)

31 मार्च, 2026

एमवीएस/-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।